

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

फाईल नंबर

दिनांक
5-3-19

पत्रावली नेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं है कर्माट आवाज दिलवाई गई। फिर भी प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी उपस्थित नहीं हैं अतः यह प्रार्थना पत्र अप्लाई निवेदाइ अदम राजिरी एवं अदम खैरनी में यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली के लिए मुगार होकर नमूने का होकर सा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करीम)

न्यायालय

पत्रावली पत्र (1) प्रती की धीरे से खींचना की समझौती सूत्र
एनबीएल एनबीएल प्रती अभिव्यक्ति के इस अनुसार पर कि प्रकरण संकटग्रस्त
प्रकृति में है तथा प्रती के पत्र में अन्तर्गत प्रस्ताव विभाजन नहीं किया
जाने पर बाद में प्रतीना पत्र की मददसे ही प्रकरण को आगे प्रतीना पत्र
अन्तर्गत अन्तर्गत विभाजन के बिन्दु पर नहीं प्रती की सूत्र तथा एनबीएल
प्रती की मान्य है कि अन्तर्गत प्रकरण में प्रतीना पत्र की प्रती के पत्र में
अन्तर्गत विभाजन जारी की जाने। प्रतीना पत्र की प्रकृति एवं प्राथमिकता को
देखते हुए अन्तर्गत प्रस्ताव को अन्तर्गत विभाजन में मान्य किया जाता है। कि
आगामी पेशी दिनांक 07.02.2019 तक विवादग्रस्त आगामी 1273 सूत्र
0.20 पै. 1273 सूत्र 0.20 पै. कुल बिना 2 सूत्र 0.40 पै. प्राम गुटिया
संश्लेषित संश्लेषित जिला कौली में आगामी विधि तक सूत्र की स्थापना के
आदेश दिए जाते हैं।

प्रती को निर्देशित किया जाता है कि अन्तर्गत के नोटिस लॉगिन
को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अन्तर्गत प्रतीना पत्र
इसकेन्द्र व नोटिस आदि की प्रतीना रजिस्टर्ड टांक में विभाजन सुनिश्चित करें।
तथा आगामी पेशी पर इस आदेश का शपथ पत्र तथा सीट प्रस्तुत की करें।
तथा बाद में हेतु चरण नहीं होने पर आगामी सूत्राई को प्रस्ताव विभाजन स्वतः
निष्पत्ती जारी जायेगी। प्रकरण को स्वतः ही से प्रस्तुत किया हुआ मानकर
तथा एक पक्षीय सूत्राई के आधार पर न्यायालय को विभाजन सुनिश्चित के
तथा यह अन्तर्गत प्रस्ताव जारी की गई है। विभाजन प्रतीना पत्र में यह
आदेश की जाती है। कि यह उपरोक्तानुसार अन्तर्गत पर एक पक्षीय आदेश की
लॉगिन की उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पत्र करें।
तथा आदेश उक्त नियम (3) (क) के प्रावधानों की मान्य सुनिश्चित करें। अन्यथा
अन्तर्गत आदेश को आदेश जारी तक विस्तारित करने में पूर्व न्यायालय
अपने विवेकानुसार एवं अनिश्चित शक्तियों का प्रयोग करेगा। विधि परिस्थितियों
में यह अन्तर्गत विभाजन पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में
संश्लेषित/वेकॉट कर दी जायेगी। अन्तर्गत को जस्टिस रजिस्टर्ड नोटिस कल्प
किया जाये। पत्रावली दिनांक 07.02.2019 को पत्र हो।

27-13
12/1/19

जुम जिल्हा कलक्टर
संश्लेषित जिला कौली

9
आर्थी लक्ष्मी उपा. नगर की ओर में कार्य प्रमाण पत्रा गया है
P.O. सा. आ. प्र. कार्य में प्रमाण ही आदेश दि. 27.2.19 को प्रमाण
पत्रा